न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 67/2012

उमराव सिंह पुत्र श्री गणपत सिंह, जाति राजपूत, निवासी–रेनवाल, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर राज0।

–अपीलान्ट–

बनाम

1. तीजा देवी पुत्री श्री गोदू, जाति कुम्हार, निवासी वार्ड नम्बर–11 किशनगढ रेनवाल, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर राज0।
2. सरकार जरिये (क) श्रीमान् जिलाधीश महोदय, जयपुर जिला जयपुर राज0।
   (ख)श्रीमान् तहसीलदार तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज0।

–रेस्पोडेंट्स–

अपील संख्या :– 135/2012

तीजा देवी पुत्री श्री गोदू, जाति कुम्हार, निवासी वार्ड नम्बर–11 किशनगढ रेनवाल, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर राज0।

–अपीलान्ट–

बनाम

1. उमराव सिंह पुत्र श्री गणपत सिंह, जाति राजपूत निवासी–रेनवाल, तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज0।

2. सरकार जरिये (क) श्रीमान् जिलाधीश महोदय, जयपुर जिला जयपुर राज0।
   (ख)श्रीमान् तहसीलदार तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज0।

–रेस्पोडेंट्स–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री रामचन्द देगडा, उमराव सिंह की ओर से।

2– श्री रामावतार शर्मा, तीजा देवी की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 02–04–2018

1.– उक्त दोनों अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्ट्र सांभरलेक जिला जयपुर दिनांक 15/02/2012 बसिलसिला मिसल नम्बरं 378/2008 उनवानी उमराव सिंह बनाम मु0 तीजादेवी प्रस्तुत की गई है। एक ही निर्णय व डिक्री के विरूद्ध तथा समान पक्षकारों के मध्य होने से निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

2– संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी उमराव सिंह द्वारा एक वाद अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर सांभरलेक के समक्ष घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का आराजी खसरा नम्बर 995 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा चाही दोयम वाके पटवार हल्का रेनवाल तहसील फुलेरा जिला जयपुर में स्थित आराजीयात बाबत पेश किया जिसमें वादी ने कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पर संवत् 2011 के पूर्व से यानी मुताबिक बुजुर्गो से उसका कब्जा काश्त चला आ रहा है बरवक्त पर्चा सेटलमेंट वादी का ही उपरोक्त आराजीयात पर दिगर आराजीयात के साथ कब्जा काश्त था अतः पर्चा खातेदारी वादी के नाम से आना चाहिये था। बरवक्त पर्चा सेटलमेंट सहबन से उपरोक्त आराजीयात का पर्चा खातेदारी गोदू पुत्र पन्ना कुम्हार के नाम से जारी कर दिया जबकि इस

नाम का कोई व्यक्ति बरवक्त पर्चा सेटलमेंट उक्त आराजीयात पर काबिज था ना उसके बाद कभी काबिज काश्त रहा तथा इस नाम का कोई व्यक्ति रेनवाल किशनगढ में नही है। वादी ही मुताविक संवत् 2011 से बरवक्त पर्चा सेटलमेंट के पूर्व से व इसके बाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होते समय से आजतक बराबर काबिज काश्त चला आ रहा है जैसाकि खसरा गिरदावरी स्लीप, गिरदावरी आदि से स्पष्ट है लगान वादी जमा कराता आ रहा है जिससे वादी का कथित आराजीयात पर कब्जा परिपक्कव हो चुका है। अगर इस नाम के व्यक्ति के कोई खातेदारी अधिकार थे भी तो वे कब्जे के अभाव में समाप्त होकर वादी में निहित हो चुके है वादी ने समय समय पर खातेदारी दर्ज कराने हेतु तहसील से संपर्क किया। अन्त में 03/01/2006 को धारा 80 जाप्ता दीवानी का नोटिस 2 माह मियादी जारी किया किन्तु उसकी विधिवत सूचना श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के दिनांक 17/03/2006 के पत्र से हुई। नामान्तरकरण तीजा पुत्री गोदू के नाम नामान्तरकरण संख्या 2634 दिनांक 13/12/2004 को खोला जा चुका है। इस प्रकार उक्त तीजा नाम की स्त्री ने अपने आपको गलत तरीके से गोदू की वारिस बनकर नामान्तरकरण खुलवाया है अतः वादी फर्जी तरीके से करवाये नामान्तरकरण से पाबंद नही है व तीजा देवी को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। उपर्युक्त कथन करते हुए वादग्रस्त भूमि में खातेदारी घोषित करने एवं प्रतिवादी तीजा देवी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञ का पाबन्द करने का अनुतोष चाहा गया। प्रतिवादी संख्या 1 तीजा देवी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया तथा वादी के कथनों का विरोध करते हुए वाद खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15/2/2012 वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर तहसीलदार फूलेरा को आदेश दिये कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 995 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि को गोदू पुत्र पन्ना कुम्हार के नाम पुन खातेदारी दर्ज कर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत वांछित कार्यवाही सम्पादित की जावे। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील संख्या 67/2012. उमराव सिंह द्वारा तथा अपील संख्या 135/2012 तीजा देवी द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3– अपील संख्या 67/2012 के अपीलान्ट द्वारा अपने अपील मीमों में कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री योग्य अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर सांभर लेक दिनांक 15/02/2012 विधि विधान एवं पत्रावली के प्रतिकुल होने के कारण निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण के विवादित मुद्दों को कब्जे काश्त स्वतः टाईटल को कतई सही एवं वास्तविक तथ्यों में समझे बिना ही एक अनुचित अवैध तथा परवर्स निर्णय पारित किया गया जो निर्णय निरस्तनीय है। विवादित आराजी सख्या नम्बर 995 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा जिस पर संवत् 2011 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से पूर्व वादी उमराव सिंह के दादा जसवन्त सिंह ही काबिज रिकोर्डेड खातेंदार काश्तकार दर्ज रहा है तथा भू–प्रबन्ध विभाग को कतई यह अधिकार प्राप्त नही है कि वह प्रार्थी अपीलान्ट की पैतृक भूमि किसी भी असंबंध व्यक्ति गोदू के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करे, भू–प्रबन्ध विभाग को केवल मात्र पूर्व राजस्व रिकार्ड के इन्द्राज को दोहराने का ही कार्य होता है। भू–प्रबंध विभाग किसी भी व्यक्ति की पैतृक भूमि का अधिकार बाबत खातेदारी अन्य व्यक्ति को सक्षम न्यायालय के निर्णय व डिक्री के अलावा हस्तान्तरण नही कर सकते है। विचारणीय न्यायालय ने तनकी संख्या –1 के विरूद्ध भी पूर्णतया मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के विरूद्ध पारित किया गया है। क्योंकि अपीलान्ट वादी ने प्रदर्श पी–संख्या –1 जमाबंदी संवत् 2059 से 2062 प्रदर्श–2 तहसीलदार जिला कलेक्टर का नोटिस एवं शपथ पत्र की नकल जमाबंदी संवत 2059 से 2062 प्रदर्श–9, गिरदावरी एवं लगान रसीद तहसील की प्रदर्श–28 पर्चा सेटलमेंट संख्या 2011 से 2029 का प्रदर्श–30 एफ आई आर की प्रमाणित प्रतिलिति प्रदर्श–31 नगरपालिका का प्रमाण पत्र एवं प्रदर्श 32 मृत्यु प्रमाण पत्र मृतक जसवन्त सिंहके पौत्र होने का नगरपालिका का प्रमाण पत्र प्रदर्श 32 एवं मौखिक साक्ष्यों प्रस्तुत कियें किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट वादी के मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों की अनदेखी करते हुये प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के केवल मौखिक बयानों को आधार बनाके वादी अपीलान्ट का वाद गैर कानूनी रूप से खारिज करने में गंभीर कानूनी

भूल की है। विचारणीय न्यायालय ने तनकी संख्या दो में इस तथ्य को कतई स्पष्ट नही किया गोरधन पुत्र मन्ना व गोदू पुत्र पन्ना के एक ही व्यक्ति है। या अलग अलग उन्होंने केवल मात्र तीजा के बयानों के आधार पर तीजा देवी को गोदू की पुत्री मान लिया जो कि इसी तनकी में आपस में विरोधीभाषी प्रतीत होती है। क्योंकि गोरधन की मृत्यु के बाद उसके पगडी दस्तुर उसके भाई रामदेव के पुत्र अर्जुन के हुई थी जिससे भी स्पष्ट होता है, कि रेस्पोडेन्ट गोदू का विवादित आराजी संख्या नम्बर 995 न तो कोई स्वतः टाईटल एवं नही कोई कब्जा काश्त है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तनकी संख्या 3 (आया तीजा देवी पत्नी गोदू में अपनें आपको गलत तरीके से गोदू की पुत्री बनकर नामान्तरकरण संख्या 2634 दिनांक 13/12/2004 खुलवाया एवं तनकी संख्या 4 (आया प्रतिवादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का पिता सेटलमेंट संवत् 2011 के पहले से ही काबिज काश्त होनें से एव इसकी मृत्यु दिनांक 05/06/1980 को होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या एक प्रतिवादिया के नाम बहैसियत वारिस नामान्तरकरण प्रतिवादिया के नाम काबिज खातेदार काश्तकार होने बाबत भी उक्त तनकी संख्या 4 के बाबत विचारणीय न्यायालय ने कोई भी फाइडिंग दिये बिना एवं इस तनकी को निर्णित किये बिना महज यह दो लाइन की आज्ञा दी है। कि तनकी संख्या 4 का निर्णय वादी की तनकी संख्या दो विरूद्ध होने से बहक प्रतिवादी तय की जाती है। इस कारण से विचारणीय न्यायालय का तनकी संख्या 4 के संबंध में पारित निर्णय व डिक्री पूर्णतया अस्पष्ट नॉन–स्पीकिंग अतार्किक कपोल कल्पित तथा मनगढन्त निर्णय डिक्री की परिभाषा में आने के कारण निरस्तनीय है। विचारणीय न्यायालय ने तनकी संख्या 3 के निर्णय को भी तनकी संख्या 2 को आधार बनाते हुये वादी अपीलान्ट के विरूद्ध तय करने में गंभीर कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के अन्तिम पैरा में पृष्ठ संख्या 7 पर पारित क्रियात्मक आदेश में यह लिखना कि वादी अपीलान्ट का वाद अस्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार फुलेरा मु0 सांभर लेक को आदेश दिये जाते है कि खसरा नम्बर 995 रकबा 02 बिस्वा 07 बिस्वा स्थित ग्राम रेनवाल में गोदू पुत्र पन्ना कुम्हार के नाम दर्ज करें। अपने आप में ही पूर्णतया क्षेत्राधिकार विहिन एवं प्रारम्भतः शुन्य निर्णय व डिक्री की परिभाषा में आने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। क्योंकि यहा पर यह महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू है, कि रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी की ओर से वादी अपीलान्ट के वाद में कोई काउन्टर क्लेम या प्रति जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया था ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय वादी अपीलान्ट का वाद खारिज तो कर सकता है। किन्तु प्रति जवाब दावा (काउन्टर क्लेम)प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नही किये जाने की स्थिति में तहसीलदार को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करने का आदेश प्रदर्शन नही कर सकती है इस कारण भी निर्णय व डिक्री और अधिनस्थ न्यायालय का सरासर क्षेत्राधिकार विहिन एवं कानून सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर सहायक कलेक्टर सांभरलेक द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15/02/2012 को निरस्त फरमायी जाकर अपीलान्ट वादी का वाद इसकी पैतृक सम्पत्ति बाबत डिक्री फरमाया जावे एवं रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी के पक्ष में बिना काउन्टर क्लेम (प्रतिजवाबदावा) प्रस्तुत किये ही खातेदारी करने का आदेश व डिक्री जेर अपील निरस्त फरमायी जावें अन्यथा वैकल्पिक रूप से प्रकरण को विचारणीय न्यायालय सहायक कलेक्टर सांभर लेक को प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) फरमाया जाकर प्रकरण की सम्पूर्ण एवं विस्तृत जांच के हेतु प्रति प्रेषित किया जावें।

4.– अपील संख्या 135/2012 की अपीलान्ट तीजा देवी द्वारा अपने अपील मीमों में कथन किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलार्थी के पिता गोदू पुत्र पन्ना को बतौर खातेदार काश्तकार माना है तथा अपने निर्णय में तनकी संख्या 01 में अपीलार्थी के पिता को बरवक्त सेटलमेंट संवत 2011 से 2015 तथा 15 से 29 की जमाबंदी में खातेदार काश्तकार होने के कारण तनकी संख्या 01 अपीलार्थी के पक्ष में बखूबी साबित होने के बावजूद अपने निर्णय में अपीलार्थी वर्तमान राजस्व रिकार्ड से नाम हजफ करने का निर्णय विरोधीभासी होने के कारण काबिले खारिज योग्य है। गोदू पुत्र पन्ना का स्वर्गवास दिनांक

15/06/1980 को हो गया जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र नगर पालिका रेनवाल किशनगढ के द्वारा जारी किया गया। जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2634 उप तहसीलदार किशनगढ रेनवाल के द्वारा जांच करके अपीलार्थी के पक्ष में खोला गया जिसमें पटवार हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में जांच पडताल करके गोदू पुत्र पन्ना के अपीलार्थी के अलावा कोई वारिस होना नही पाया तथा हल्का पटवारी ने अपने नामान्तरकरण की रिपोर्ट में स्थानीय निवासियों से जांच पडताल करके नामान्तरकरण की रिपोर्ट में सजरा खानदान का उल्लेख किया गया जिसमें अपीलार्थी गोदू पुत्र पन्ना के वारिस बखूबी साबित होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए तथ्यों के विपरीत जाकर अपीलार्थी के खातेदारी अधिकारों का गैर कानूनी तरीके से हजफ करने का निर्णय पारित कर भारी भूल कारित करने के कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय काबिले खारिज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व लगान की रसीदे व खसरा गिरदावरिया पर किसी भी प्रकार से गौर किये बिना अपीलार्थी के खातेदारी अधिकारों को राजस्व रिकार्ड में नाम हजफ करने का निर्णय बिना किसी कानून के पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में गोवरधन पुत्र मन्ना नाम के व्यक्ति का मात्र कयास के आधार पर ही अपीलार्थी का पिता माना है। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि गोदू पुत्र पन्ना का स्वर्गवास दिनांक 15/06/1980 को हो गया जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र नगर पालिका किशनगढ रेनवाल ने जारी किया गया है जिससे उक्त वार्ड का पार्षद गवाह कालू पुत्र बालूराम जो अपीलार्थी का गवाह है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि गोदू पुत्र पन्ना को जानता हूँ तथा गोदू पुत्र पन्ना के एक मात्र जाइंदा पुत्री हाल अपीलार्थी है तथा गोदू पुत्र पन्ना का रेनवाल में पक्का मकान है उक्त साक्ष्य को नजरअंदाज करके अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित करके भारी कानूनी भूल कारित की है। अपीलार्थी ने अपने कब्जे काश्त के समर्थन में बरवक्त सेटलमेंट से लेकर वर्तमान तक पर्चा खतोनी खसरा गिरदावरी लगान रसीदे जो पत्रवाली पर उपलब्ध है जिसके आधार पर अपीलार्थी के पिता से लेकर अपीलार्थी का वर्तमान तक का उपयोग उपभोग बतौर खातेदार के करते आ रहे हैं, बखुबी साबित होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को नजरअंदाज कर अपीलार्थी के खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध प्राकृतिक एवं न्यायिक सिद्धान्त के परे जाकर निर्णय पारित करने में भारी भूल कारित करने के कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय काबिले खारिज है। अपीलार्थी के स्व0 पिता गोदू पुत्र पन्ना था जो अपीलार्थी के बयान व गवाहान के साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड के मुताबिक होना बखुबी साबित है। अधिनस्थ न्यायालय ने गोदू पुत्र पन्ना के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 01 के मौखिक साक्ष्य को आधार बनाकर गोदू पुत्र पन्ना के नाम से सेटलमेंट द्वारा जारी पर्चा खतोनी बन्दोबस्त संवत 2011 से 2029 की जमाबंदी व लगान रसीदे जो गोदू पुत्र पन्ना के नाम से स्वयं गोदू पुत्र पन्ना व उसके बाद उसके वारिसान ने जमा करवायी है को नजरअंदाज करके विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के परे जाकर निर्णय पारित किया जो कि काबिले खारिज है। अपीलार्थी ने सवंत 2011 से वर्तमान तक अपने उपयोग व उपभोग व कब्जे काश्त के दस्तावेजी साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये तथा अपीलार्थी के पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज करके अधिनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय वादी/प्रतिवादी संख्या 01 के मौखिक साक्ष्य को आधार बनकार पारित किया गया है अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15/02/2012 को खारिज फरमाया जाने की कृपा करे।

5– उभय पक्ष की बहस सुनी गई। उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं द्वारा अपनी अपील मीमों के तथ्यों को दोहराया गया। अपील संख्या 67/2012 के अपीलान्ट द्वारा बहस प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जाकर प्रकरण पुनः निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाने का अनुतोष चाहा गया। इसी प्रकार अपील संख्या 135/2012 के अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त फरमाया जाने का अनुतोष चाहा गया।

6– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी उमराव द्वारा दावा बाबत् घोषणा, खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दावा एवं जवाब दावे के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई है:–

1– आया आराजी खसरा नम्बर 995 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा वाके रेनवाल प0 ह0 रेनवाल पर वादी संख्या 2011 वरवक्त परवा बुर्जगों से सेटलमेन्ट से काबिज काश्त होने से खातेदार काश्तकार है।

–वादी–

2– आया बरवक्त पर्चा सेटलमेन्ट उक्त आराजी का पर्चा सहवन से "गोद पुत्र पन्ना कुम्हार" के नाम से जारी कर दिया गया इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है न कब्जा रहा उसका नाम हजफ योग्य है।

–वादी–

3– आया तीजा पत्नी गोदू ने अपने आपको गलत तरीके से गोदू की वारिस बनकर नामान्तरकरण संख्या 263 दि0 13/12/2004 को खुलवाया उसका कोई कब्जा काश्त नहीं है उसका नाम हजफ योग्य है।

–वादी–

4– आया प्रतिवादियां नम्बर 1 का पिता सेटलमेन्ट संख्या 2011 के पूर्व से काबिज काश्त होने से पर्चा उसके नाम आया व उसके 5/6/080 को स्वर्गवास बाद प्रतिवादीगण नम्बर 1 के नाम बहैसियत वारिस नामान्तरकरण खोया गया। प्रतिवादियां बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है।

–प्रतिवादी–

5– दादरसी

तनकीवार विश्लेषण व निष्कर्ष निम्नानुसार है:–

<u>तनकी संख्या–1</u> – वादी ने इस तनकी को साबित करने के लिए निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये :–

1. प्रदर्श पी. 1 – जमाबन्दी सम्वत 2059 से 2062
2. प्रदर्श पी. 2 – तहसीलदार व जिला कलक्टर को दिया नोटिस
3. प्रदर्श पी. 3 – पोस्टल रसीद
4. प्रदर्श पी. 4 – पोस्टल रसीद
5. प्रदर्श पी. 5 – नोटिस की पावती रसीद
6. प्रदर्श पी. 6 – नामान्तरकरण संख्या 26 व 34 की प्रतियां
7. प्रदर्श पी. 7 – तीजा देवी द्वारा दिया गया शपथ पत्र की प्रति
8. प्रदर्श पी. 8 – जमाबन्दी सम्वत 2059 से 2062 की प्रति
9. प्रदर्श पी. 9 से प्रदर्श पी. 27 – गिरदावरी व लगान की रसीदों की प्रतियां
10. प्रदर्श पी. 28 – पर्चा सेटलमेन्ट सम्वत 2011 से 2029 की प्रति
11. प्रदर्श पी. 29 – तहरीर रिपोर्ट
12. प्रदर्श पी. 30 – एफ. आई. आर. की प्रमाणित प्रति
13. प्रदर्श पी. 31 – नगरपालिका का प्रमाण पत्र
14. प्रदर्श पी. 32 – मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति

मौखिक साक्ष्य में वादी ने स्वयं के तथा गवाह बलवीर सिंह व गोमाराम के बयान कराये।

उक्त तनकी के विश्लेषण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है कि "सन्दर्भित साक्ष्यों के आधार पर पर्चा सेटलमेन्ट गोदू पुत्र पन्ना के नाम आया था। उस वक्त पर्चा सेटलमेन्ट के कॉलम संख्या 3 में भोक्ता श्री गिरिराज व कॉलम संख्या 4 में उपभोक्ता हवाला जसवन्त सिंह दर्ज है सम्वत 2011 से 2019 तक की खसरा गिरदावरियों में विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 995 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर जसवन्त

सिंह पुत्र रामनाथ सिंह का कब्जा काश्त दर्शाया है वाद पत्र में जसवन्तसिंह का वादी उमरावसिंह से क्या रिश्ता है? या जसवन्तसिह के कब्जे काश्त के इन्द्राजों पर वादी का क्या वैधानिक अधिकार है? इस बाबत् कोई उल्लेख वाद पत्र में वादी ने नहीं किया है न ही इस प्रकार की कोई बात मौखिक साक्ष्य में आई है अतः जसवन्त सिह के कब्जे काश्त को बिना आधार के उमरावसिंह वादी का माना जाना न्यायसंगत नहीं है हांलाकि तहसीलदार फूलेरा ने अपने पत्र क्रमांक/रीडर/06/354 दिनांक 13.02.2006 में विवादग्रस्त आराजियात पर श्री उमरावसिंह पुत्र गणपतसिंह वादी का कब्जा काश्त माना है। वर्ष 2006 से पूर्व का वादी के नाम कब्जे काश्त का कोई इन्द्राज नहीं है न ही वादी के पिता गणपतसिंह के नाम पूर्व में कोई कब्जा काश्त संबंधी इन्द्राज है ऐसी स्थिति में वादी का अथवा उसके पूर्वजों का पर्चा सेटलमेन्ट से पूर्व कब्जा काश्त माना जाना सिद्ध नहीं होता है। तथा वर्ष 2006 से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। अतः तनकी विरूद्ध वादी तय की जाती है।" उक्त निष्कर्ष अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर सही पारित किया गया हैं परन्तु विवेचन में जो यह तथ्य अंकित किया गया है कि सम्वत 2011–19 तक की खसरा गिरदावरियों में वादग्रस्त आराजी खसरा 995 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर जसवन्त सिंह पुत्र रामनाथ सिंह का कब्जा काश्त दर्शाया है, उचित नहीं है। क्योंकि पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श डी–6 खतौनी जमाबन्दी सम्वत 2011–29, प्रदर्श डी–7 खसरा गिरदावरी सम्वत 2010–11, प्रदर्श डी–8 खसरा गिरदावरी सम्वत 2013–14 से स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रारम्भ के समय गोदू पुत्र पन्ना कुम्हार वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है तथा सम्वत 2010–11, 2013 में वादग्रस्त भूमि गोदू वल्द पन्ना की खुद काश्त की भूमि रही है। अपीलान्ट उमराव द्वारा अपनी अपील में वादग्रस्त भूमि को पैतृक होना कथन किया गया है तथा यह भी कथन किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रारम्भ होने के समय उनके दादा जसवन्त सिंह भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रहे हैं। उक्त कथन पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से साबित नहीं होते है। यहां तक कि अपने वाद में वादी उमराव सिंह द्वारा काश्तकारी अधिनियम प्रारम्भ होने के समय स्वयं का कब्जा काश्त होना उल्लेख किया है तथा जसवन्त सिंह के साथ किसी भी रिश्ते का उल्लेख वाद पत्र में नहीं किया गया है परन्तु अपील में वाद पत्र में उल्लेख किये गये तथ्यों के विपरीत कथन किये गये हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह तनकी विरूद्ध वादी उचित तौर पर निर्णित की गई है।

तनकी सं0 2 – इस तनकी में वादी को यह साबित करना था कि "आया बरवक्त पर्चा सेटलमेन्ट उक्त आराजी का पर्चा सहवन से "गोदू पुत्र पन्ना कुम्हार" के नाम से जारी कर दिया गया। इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है न कब्जा रहा उसका नाम हजफ योग्य है।" अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तनकी के विवेचन में उल्लेख किया गया है कि "वादी ने अपने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों से यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि प्रतिवादियां संख्या 1 तीजा देवी गोदू के बजाय गोरधन पुत्र मन्ना की पुत्री है और उस गोरधन की मृत्यु 1955 में ग्रम मण्डाभीमसिंह में कुए में गिरने के हुई थी। प्रतिवादियां ने स्वयं अपने बयानों की जिरह में स्वीकार किया कि उसकी शादी उसके काका रामदेव ने की थी। तथा उसकी माता का नाम भूरी है वादी ने मतदाता सूची वर्ष 1966 की प्रति प्रस्तुत की है। जिसमें प्रतिवादियां की माता भूरी के पति का नाम गोरधन अंकित है तथा रामदेव पुत्र मन्ना व भूरी पत्नी गोरधन बागवाली ढाणी में निवास करते थे। यदि 1966 में गोरधन जिन्दा होता तो उसका भी मतदाता सूची में पत्नी के साथ नाम अवश्य होता। इससे यह साबित होता है कि उसकी मृत्यु 1966 से पूर्व हुई थी। प्रदर्श 30 में भी जांच अधिकारी ने गोरधन की मृत्यु 1955–56 में कुए में गिरने से दर्शायी है। अब प्रश्न यह उभर कर आता है कि क्या गोरधन पुत्र मन्ना व गोदू पुत्र पन्ना नाम का व्यक्ति एक ही है या पृथक–पृथक है? इस संबंध में स्वयं प्रतिवादियां संख्या 1 तीजा देवी ने अपने बयानों में कथन किया कि मैं गोदू की पुत्री हूं, गोरधन की पुत्री नहीं हूं। इससे यह प्रकट होता है कि गोरधन व गोदू दो पृथक–पृथक व्यक्ति है। तीजा देवी गोदू की पुत्री किस प्रकार हुई यह सन्देहास्पद है। इस स्थिति

में यदि गोदू पुत्र पन्ना नाम का व्यक्ति कोई नहीं था तो इस प्रकार की सम्पति राज्य सरकार में निहित होना चाहिए। जिसके लिए तहसीलदार फूलेरा को काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिए। गोरधन की मृत्यु पश्चात उसके पगडी के दस्तुर उसके भाई रामदेव के पुत्र अर्जुन के हुई थी। जिसके कथनानुसार उनका भी कब्जा खसरा नम्बर 995 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर नहीं रहा। ऐसी स्थिति में रेनवाल नगरपालिका के पार्षद द्वारा प्रमाणित सजरा खानदान के आधार पर नामान्तरकरण बिना जाचं खोलना न्यायसंगत नहीं था। मौके पर प्रतिवादियां के कब्जे काश्त के संबंध में कोई उसे साक्ष्य सबूत प्रस्तुत न होने से उसका कब्जा विवादग्रस्त आराजियात पर नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में पूर्ववत राजस्व इन्द्राज को बहाल रखना लाजिमी है। अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।" अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निष्कर्ष यह कथन करते हुए पारित किया गया है कि गोरधन व गोदू दो पृथक–पृथक व्यक्ति है तथा तीजा देवी गोदू की पुत्री किस प्रकार हुई यह सन्देहास्पद है। इस स्थिति में यदि गोदू पुत्र पन्ना नाम का व्यक्ति कोई नहीं था तो इस प्रकार की सम्पति राज्य सरकार में निहित होनी चाहिए। न्यायालय का यह निष्कर्ष अस्मबद्ध तथ्यो के आधार पर पारित अस्पष्ट निष्कर्ष है। गोदू व गोरधन नाम के दो पृथक व्यक्ति होने से तीजा का गोदू की पुत्री होना किस प्रकार सन्देहास्पद हो सकता है, स्पष्ट नहीं है। साथ ही गोरधन व गोदू दो पृथक व्यक्ति होने से यह सिद्ध नहीं होता है कि गोदू पुत्र पन्ना नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहा हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श डी–6 खतौनी जमाबन्दी सम्वत 2011–29, प्रदर्श डी–7 खसरा गिरदावरी सम्वत 2010–11, प्रदर्श डी–8 खसरा गिरदावरी सम्वत 2013–14 से स्पष्ट है कि गोदू पुत्र पन्ना रिकॉर्डेड काश्तकार रहे हैं तथा सम्वत 2010, 2011 व 2013 में गोदू की खुद काश्त दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि गोदू पुत्र पन्ना वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार रहे हैं तथा इस नाम के व्यक्ति का अस्तित्व रहा। ऐसी स्थिति में जो तनकी संख्या 2 वादी के पक्ष में निर्णित की गई है वह अनुचित है तथा उक्त निष्कर्ष बहाल रखे जाने योग्य नहीं है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादी तय की जाती है।

तनकी सं0 3– इस तनकी का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवचेन किया गया है कि "इस तनकी का पूर्ण विवेचन तनकी स0 2 मे किया गया है। तनकी सं0 2 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय होने पर यह तनकी भी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।" उक्त विवेचन न्यायालय हाजा द्वारा तनकी संख्या 2 में किये गये विवेचन के आधार पर बहाल रखे जाने योग्य नहीं है। प्रकरण में तनकी संख्या 1 व तनकी संख्या 2 के निष्कर्ष से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार गोदू पुत्र पन्ना रहे हैं। इस तनकी द्वारा यह निर्धारित किया जाना है कि तीजा पुत्री गोदू द्वारा जो गोदू की वारिस की हैसियत से नामान्तरकरण खुलवाया गया है वह गलत है तथा उसका कोई कब्जा काश्त नहीं है। यहां पर गोदू व गोरधन नाम के व्यक्ति को लेकर भ्रम की स्थिति है। यह जांच का विषय है कि गोदू व गोरधन नाम के दो व्यक्ति है अथवा एक ही व्यक्ति को इन दोनों नाम से पुकारा जाता था। इसके संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य 10 पी– प्रदर्श 26 नामान्तरकरण संख्या 2634, प्रदर्श–7, प्रदर्श पी–31 नगरपालिका प्रमाण पत्र से यह जाहिर होता है कि तीजा देवी गोदू की पुत्री होने से उसके पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक हुआ है। दूसरी ओर जो मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत हुए हैं उनमें यह विवाद आया है कि गोदू पुत्र पन्ना व गोरधन पुत्र मन्ना नाम के दो व्यक्ति हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने विवेचन में पुलिस द्वारा किये गये अनुसन्धान के दौरान लिये गये बयानों पर भी विश्वास किया गया है जो कि विधि अनुकूल नहीं है। किसी फौजदारी प्रकरण में किये गये अनुसन्धान को राजस्व न्यायालय द्वारा साक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता है। जहां तक कब्जा काश्त का प्रश्न है जब तक अन्यथा साबित नहीं कर दिया जावे रिकॉर्डेड खातेदार का कब्जा काश्त माना जावेगा। इस प्रकार इस तनकी को निर्णित करने में यह बिन्दू निर्धारित किया जाना है कि तीजा गोदू की वारिस है अथवा नहीं। जो कि सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है तथा उनके द्वारा ही यह

अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि गोदू पुत्र पन्ना व गोरधन पुत्र मन्ना एक ही व्यक्ति थे अथवा भिन्न–भिन्न व्यक्ति थे। इस प्रकार इस तनकी का निस्तारण न्यायालय हाजा द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है।

तनकी सं0 4 – तनकी संख्या 3 में किये गये विवेचन अनुसार यह तनकी संख्या 3 के निर्णय पर निर्भर करती है अतः इस तकनी का निर्णय तनकी संख्या 3 पर प्राप्त होने वाले निर्णय के पश्चात् किया जाना सम्भव है।

उपर्युक्त तनकीवार विश्लेषण से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि गोदू वल्द पन्ना की खातेदारी में दर्ज रही हैं तथा वर्तमान में वह तीजा पुत्री गोदू के नाम से जरिये नामान्तरकरण दर्ज हुई है। वादी उमराव सिंह द्वारा प्रस्तुत दावा तनकी संख्या 1 पर पारित निर्णय अनुसार साबित नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है। प्रकरण में तीजा के गोदू का वारिस होना अथवा नहीं होना विवादास्पद है जिसका निर्णय सिविल न्यायालय द्वारा किया जाना सम्भव हैं। जब तक सिविल न्यायालय द्वारा उक्त विवाद का निस्तारण नहीं कर दिया जाता है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है। उपर्युक्त विवेचन से प्रस्तुत अपील संख्या 67/2012 व 135/2012 आंशिक स्वीकार योग्य पाई जाती हैं।

7– अतः उक्त दोनों अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाई जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 15–02–2012 निरस्त किये जाते है। वादग्रस्त भूमि के वाद प्रस्तुति से पूर्व के राजस्व रिकॉर्ड को यथावत रखा जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सर्वप्रथम तनकी नम्बर तीन को वास्ते निर्णय सक्षम सिविल न्यायालय में प्रेषित किया जावे तथा सिविल न्यायालय से निर्णय प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण में अन्तिम निर्णय पारित किया जावे। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियो से साथ सलंग्न की जावे।

8– निर्णय आज दिनांक 02–04–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर